(1)

(62) (@)

10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय म0 प्र0 राजस्व मण्डल (बोर्ड) ग्वालियर जिला ग्वालियर म0 प्र0

रिवीजन क्रमांक- 118 पुनरीक्षण

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/0291

(1) महिला सन्तोदेवी पत्नी राजनारायण पड़कुला (आदिवासी) उम्र 60 साल निवासी भकौरा थाना व तहसील मऊरानीपुर जिला झाँसी उ0प्र0 हाल निवासी जतारा तहसील व थाना जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0

(2) महिला वृजेशबाई पत्नी पातीराम आदिवासी (पड़कुला) उम्र 75 वर्ष निवासी भटपुरा थाना मै लहचूरा जिला झाँसी उ0प्र0 हाल निवासी कस्वा; जतारा थाना व तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ----आवेदकगण/रिवीजनकर्तागण

दिनांक 9.1.18 को श्री पी. एस. बघेल एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत।
9.1.18
पेशी 24-1-18

:: वनाम ::

(1) राजेश कुमार तनय रामकुमार साहू उम्र 35 साल पेशा दुकानदारी निवासी कस्वा जतारा थाना व तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0

--अनावेदक/ प्रतिउत्तरदाता

रिवीजन प्रतिकूल आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल जतारा के प्र0क्र0 07/अ12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23-11-2017 के विरूद्ध ।

महोदय,

प्रार्थी/आवेदकगण/रिवीजनकर्तागण की रिवीजन सादर निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि माननीय राजस्व निरीक्षक मण्डल जतारा द्वारा अपने प्र0क्र0 07/~~k8~~ अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23-11-2017 विधिविधान, वाक्यात पत्रावली के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है जिसे निरस्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत होगा।

नि. वृजेशबाई

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/0291 सन्तोदेवी विरूद्ध राजेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक सन्तोदेवी की ओर से अभिभाषक श्री पी.एस.बघेल उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल जतारा के सीमांकन आदेश दिनांक 23-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी पर निर्णय लिया जाना है । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 29.x.18 (आर.के. जैन) सदस्य	